स्था. आदेश पु. मु. (42)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR.

NO. CID/CB/PRC(32)88/ 5010_5215 Dated July 28th , 1988.

STANDING ORDER NO. 9/88

It is lamentable that Beat system has fallen in dis-use which has adversely effected the overall performance and effectiveness of the Police. Either beat books are non-existant or they are not being properly maintained by the beat constables. Resultantly the constable does not know his beat. Hence it is proposed to issue new beat books for the constables. Such beat books shall be maintained in four parts.

2. Part I of beat book shall contain information of the beat under the following heads :-

a) Names and particulars of :-

1) curent history sheeters.
2) Past criminals involved in dacoity, robbery and burglary.
3) Bad characters (Goondas, Dadas, Badmash).
4) Harbourers/friends of criminals.
5) Offenders indulging in gambling, satta, narcotics, illicit liquor and illicit arms.
6) Receivers of stolen property.
7) Absconders and P. Os.
8) Motbirs.

b) Places/Addas, Dens frequented by criminals.

Part I of the Beat Book is to be filled in by the Beat Constable under the guidance of S.H.O. Constables should memorise the information contained therein.

3. Part II of Beat Book shall be divided monthwise into 12 parts. Every month shall be allotted 4 pages, wherein beat constable shall record useful information relating to - (a) movement of criminals, (b) criminal intelligence (c) good work done by him. At close of the month, the S.H.O. shall check up the entries and record his comments regarding the Efficiency of the beat constable.

4. Part III of Beat Book shall be a statement regarding the routine work done by the constable every month. The routine work shall be evaluated under the following heads in monthwise columns :-

(P.T.O.)

Numbers of	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JNN	JLY	AGS	SPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1. Summons : served/given													
2. Warrants : executed/given													
3. Night patrolling													
4. Day Patrolling													
5. Bad characters & history sheeters checked													
6. Enquiries slips 'A' got issued or verified.													
7. Enquiries slip 'B' got issued or verified													
8. Entry of notes regarding criminals in Beat Book													
9. Sentry duty performed.													

In the above monthwise statement, if a constable was given 20 summons and he served only 10, the entry at No. 1, shall be 10/20.

This statement shall help in evaluation of the work of the constable during the month as well as the year.

5. Part IV of the Beat Book shall be a monthwise statement regading the good work done by the constable. The statement shall be maintained under the following heads :-

Numbers of	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JNN	JLY	AGS	SPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1. Property offencens detected													
2. Casesof gambling, satta, narcotics, illicit liquor and illicit arms detected.													

3. Cases under 109 Cr. P.C. detected.												
4. Absconders/P.Os. arrested.												
5. Information supplied to the S.H.O. resulting in prevention of crime												

6. Entries in Part III and Part IV shall be critically examined by the S.H.O. to ensure that the beat constable does not make any false entry relating to Routine or Good work done by him. Similarly entries made in Part II shall be examined by the S.H.O. to ensure that relevant cross entries are made in General Diary and the G.D. number is entered in beat book.

7. For successful implementation of this scheme, the following steps are warranted :-

1) District Supdt. of Police should ensure that beats are properly demarcated in each Police station.

2) On supply from PHQ. beat books be immediately supplied to constables.

3) Constables be directed to immediately complete Part I.

4) Monthly entries in Part II be critically examined and signed by the S.H.O.

5) Circle Officer should check atleast <u>six</u> Beat Books of every Police Station every month by rotation.

6) District Superintendent of Police should check <u>two</u> Beat Books of every Police Station once a month. This can be done by calling for two Beat Books from evry Police station every month by seeing the posting Register and ensure that Beat Books called in a particular month are not called on the next month. S.H.O., Force Clerk and Crime Assistant should not know which Beat Books are likely to be called next.

For example if a District has 24 Police Stations the Supdt. of Police will have to check 48 Beat Books in a month's time which should not substantially add to his work.

8. A. P. A. Reports of constables should be written on the basis of performance reflected in the Beat Books. Performance reflected in the statement of Routine work as well as Good work should be the basis for giving rewards.

(Dr. G. P. PILANIA)
DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

Copy to :- All Is.G.P. Raj./ All Dy.Is.G.P. Rajasthan
All Distt. Supdt. of Police, Raj. incl.GRP.Ajmer
All Distt. Addl. Supdt. of Police, Raj.
All Circle Officers, Rajasthan.

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी (32)5382-6687   दिनांक 30-7-88

स्थायी आदेश संख्या ---5------- 88

यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि पूर्व में स्थापित बीट व्यवस्था की पालना नहीं की जा रही है जिससे पुलिस की कारगुजारी तथा मुस्तैदी पर असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि या तो बीट बुक का अस्तित्व ही नहीं रहा है अथवा बीट कानिस्टेबिल्स उचित तरीके से उनका उपयोग ही नहीं कर रहे है। नतीजा यह है कि कानिस्टेबिल अपनी बीट के बारे में सर्वथा अनभिज्ञ है। अत: यह प्रस्ताव किया गया है कि कानिस्टेबिलों के लिये नई बीट बुक्स जारी की जावे। इन्हें चार भागों में विभक्त कर नियमित रूप से काम में ली जावेगी ।

2. बीट बुक के I भाग में निम्नलिखित सूचनाए अंकित की जाएगी :

(अ)

(1) वर्तमान हिस्ट्रीशीटर्स के नाम तथा उनका विवरण ।

(2) पुराने अपराधी जो डकैती, लूट तथा नकबजनी की वारदातों से संबंध हो ।

(3) समाज कंटक व्यक्ति (गुण्डे, दादा, बदमाश)

(4) अपराधियों के आश्रय स्थल/उनके मित्र आदि ।

(5) ऐसे अभियुक्त जो जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के व्यापार, अवैध शराब तथा अवैध हथियारों के निर्माण में लिप्त है।

(6) चोरी के माल के खरीददार ।

(7) घोषित अपराधी ।

(8) नौसबीर व्यक्तियों के नाम ।

(ब)

(1) उन स्थानों के नाम, पते, स्थल जहां पर अपराधी पाये जाते है।

बीट बुक का I भाग थानेदार की देख रेख में बीट कानिस्टेबिल के द्वारा भरी जायेगा। इसमें दर्ज अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को कानिस्टेबिल हमेशा ध्यान में रखेंगे ।

---क्रमश: 2

3. बीट बुक का II भाग 12 हिस्सों में प्रतिमाह के हिसाब से विभाजित होगा। बीट-कानिस्टेबिल हर माह चार पन्नो में निम्न सूचना दर्ज करेगा :-

(क) अपराधियों की हलचल (ख) अपराध एवं अपराधियों की सूचना ।
(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिये की गई विशेष कारगुजारी ।

महिने की समाप्ति पर थानेदार द्वारा बीट बुक में अंकित सूचनाओं की जांच की जायेगी तथा बीट कानिस्टेबिल की दक्षता के बारे में टिप्पणी अंकित की जायेगी ।

4. बीट बुक के III खण्ड में हर माह कानिस्टेबिल द्वारा रोज-मर्रा के कार्यो का विवरण अंकित किया जायेगा । रोजमर्रा के कार्यो का मूल्यांकन निम्न माहवारी शीर्षको के अनुसार दिया जायेगा ।

संख्या	ज0	फ0	मा0	अ0	म0	जू0	जु0	अ0	सि0	अ0	न0दि0
1- सम्मन प्राप्त हुये/तामील											
2-वारन्टस प्राप्त हुये/तामील											
3-रात्रि गश्त											
4- दिन की गश्त											
5-समाज कंटको तथा हिस्ट्रीशीटर्स की जांच											
6-जाँच (इन्क्वायरी) -स्लिप. (अ) जारी की गई अथवा तस्दीक की गई											
7-जाँच (इन्क्वायरी) -स्लिप (ब) जारी की गई अथवा तस्दीक की गई।											
(8) बीट बुक में अपराधियों के बारे में दर्ज टिप्पणी											
(9) संतरी ड्यूटी की गई											

---3 पर

यदि कानिस्टेबिल को 20 सम्मन दिये गये और केवल 10 तामील हुये तो उपरोक्त माहवारी विवरण में नं0 1 में 10/20 अंकित किया जायेगा । इस विवरण से कानिस्टेबिल द्वारा किये गये प्रति माह तथा साल भर के कार्य का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी ।

5. बीट बुक का IV भाग कानिस्टेबिल के द्वारा किये गये अच्छे कार्य का माहवारी विवरण होगा । ये विवरण निम्न शीर्षकों में लिखा जायेगा ।

संख्या	ज0	फ0	मा0	अ0	म0	जू0	जु0	अ0	सि0	अ0	न0	दि0
1- जायदाद संबंधी अपराधों की पतारसी												
2- जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों की बिक्री अवैध शराब तथा हथियारों की बरामदगी।												
3-धारा 109 सीआरपीसी के मामलों में बरामदगी												
4- भगोड़ों/घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी												
5-थानेदार को दी गई सूचनाओं के फलस्वरूप अपराध में कमी ।												

6- बीट बुक के भाग 3 एवं भाग 4 में दर्ज सूचना की थानेदार कड़ी जांचकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बीट कानिस्टेबिल ने रोजमर्रा के कार्य अथवा सराहनीय कार्य के बारे में कोई झूठी सूचना दर्ज तो नहीं की है इसी प्रकार बीट बुक के भाग IV में दर्ज सूचना की थानेदार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये जांच की जायेगी की जनरल डायरी में भी वह सूचनायें दर्ज है या नहीं तथा जी0डी0 नम्बर बीट बुक में अंकित है या नहीं ।

क्रमशः 4 पर

7- इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिये निम्न कदम अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगे :-

1- जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बीटस का उचित सीमांकन किया जाए ।

2- पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होते ही बीट बुक्स कोन्सटेबल्स को तत्काल वितरित हो जाए ।

3- कोन्स्टेबल्स को कहा जाए कि वे भाग I की सूचनाएं तत्काल दर्ज करें ।

4- भाग II में माहवारी सूचनाओं की अच्छी तरह जांच करके थानेदार अपने हस्ताक्षर करें ।

5- सर्किल ऑफिसर बारी-बारी से हर माह प्रत्येक पुलिस स्टेशन की कम से कम छः बीट बुक्स की जांच करें ।

6- जिला पुलिस अधीक्षक महिने में एक बार प्रत्येक पुलिस स्टेशन से दो बीट बुक्स की जांच करेंगे । यह जांच हर माह किसी भी पुलिस स्टेशन की दो बीट बुक्स मंगवाकर की जा सकती है। पोस्टिंग रजिस्टर देख कर यह ध्यान अवश्य रखें कि जिस माह में जिस थाने की बीट बुक्स मंगवाई गई हो वे दूसरे माह में वापस नहीं आ जाए । थानेदार, फोर्स क्लर्क तथा अपराध सहायक को यह पता नहीं चले कि अगले माह कौनसी बीट बुक्स मंगवाई जायेगी। उदाहरण के लिये किसी जिले में 24 स्टेशन है तो पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह में 48 बीट बुक्स की जांच की जाएगी। कान्स्टेबल की बीट बुक्स में दर्ज उपलब्धियों व कार्य के विवरण के आधार पर ही उसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखा जाएगा । उनको पुरस्कार भी रोजमर्रा के काम तथा उनके द्वारा किये गये अच्छे काम के विवरण के आधार पर तय किया जाएगा ।

ह0/-
पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान, जयपुर।